

कार्यालय वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

[OFFICE TELEPHONE NO. & FAX -07752-226082]

[e-mail-dfo_bsp@rediffmail.com]

क्रमांक / तक्र. / 7452

बिलासपुर, दिनांक 23.11.23

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर(छ.ग.)

विषय :-

Diversion on 28.811 ha. (18.245 ha in Bilaspur Forest Division and 10.566 ha. In Marwahi Forest Division) of forest land of favour of M/s Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh for non-forest purpose Forest Conservation Act, 1980 proposed for Rehabilitation and Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under Corridor Scheme on SEP basis of Keonchi to Ratanpur Section NH-45 (Ex.) in Bilaspur and Marwahi Forest Division and District in the State of Chhattisgarh-reg.
पंजीयन क्रमांक- FP/CG/ROAD/126719/2021 (पुनरीक्षित मांग पत्र)

संदर्भ :-

1. अ.प्र.मु.व.सं(भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़ का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-893/2795 दिनांक 19.12.2023
2. इस कार्यालय का पत्र क्र./तक्र./1508 दिनांक 23.11.2023

—00—

विषयांतर्गत संदर्भ पत्र क्र. 02 द्वारा प्रकरण में प्रथम चरण की स्वीकृति अंतर्गत अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु जारी मांग पत्र का परीक्षण अ.प्र.मु.व.सं(भू-प्रबंध/व.सं.अ.), छत्तीसगढ़, द्वारा किया गया। परीक्षण उपरांत मरवाही वनमंडल अंतर्गत प्रभावित वनभूमि रकबा 10.566 हे. के शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 12683398/- के स्थान पर राशि रु. 12981282/- का मांग पत्र जारी करने का निर्देश संदर्भ पत्र क्र. 01 से प्राप्त हुआ है।

तदनुसार पुनरीक्षित मांग पत्र जारी किया जाता है। जो निम्नानुसार है:-

शर्त क्र.	विषय	जानकारी
iii	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years;	प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 61.414 हे. मरवाही वनमंडल अंतर्गत संरक्षित वन कक्ष क्र. 2047 में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिये निर्धारित दर 966666/- प्रति हेक्टेयर की दर से 61.414 हे. के लिये राशि रु. 59366826/- की राशि का कैम्पा कारपोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल (http://parivesh.nic.in) द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा कर मूल चालान की प्राप्ति अभिसवीकृति संलग्न करें।

शर्त क्र.	विषय	जानकारी
iv	NPV:- (a) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 28.811 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009, letter No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 06.01.2022 and letter No. 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 22.03.2022 in this regard. (b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	(a)(1) प्रकरण में विलासपुर वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन/राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 18.245 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/- प्रति हेक्टेयर की दर से राशि रु. 22415623/- तथा (a)(2) मरवाही वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तित की जाने वाली वन/राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 10.566 हे. के लिये प्रत्याशा मूल्य की राशि 1228590/- प्रति हेक्टेयर की दर से राशि रु. 12981282/- NPV के उक्त दोनों राशियों के लिये कैम्पा कार्पोरेशन बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से वेब पोर्टल (http://parivesh.nic.in) द्वारा चालान जनरेट कराकर नोडल कार्यालय से अनुमोदन उपरांत जमा कर मूल चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति संलग्न करें। (b) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के बाद यदि शुद्ध प्रत्याशा मूल्य के दर में परिवर्तन किया जाता है तो अंतर की मांग की गई राशि को आपके द्वारा निर्धारित बैंक खाते में जमा कराया जावेगा, से संबंधित वचन पत्र देवे।
v	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department; Maximum numbers of trees in outer RoW will be kept intact. A detailed report in this regard shall be submitted to IRO, Raipur, MoEF&CC along with State-I compliance report;	(1) प्रकरण में विलासपुर वनमंडल अंतर्गत वनभूमि के 1948 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके विदोहन में राशि 4760061/- रुपये व्यय होना आकलित है। (2) प्रकरण में मरवाही वनमंडल अंतर्गत वनभूमि के 2679 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके विदोहन में राशि 5013660/- रुपये व्यय होना आकलित है। वृक्ष विदोहन की उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित वनमंडलाधिकारी के नाम पर तैयार कर जमा करें। वृक्ष विदोहन योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(उत्पादन) से अनुमोदन प्राप्ति के लिये निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

शर्त क	विषय	जानकारी
viii	Wildlife conservation plan and Avifauna conservation plan shall be prepared which will be implemented at the cost of the User Agency. The copy of Wildlife conservation plan and Avifauna conservation plan need to be submitted by the User Agency before issue of "work permit" by the State;	प्रकरण में वन्यप्राणी संरक्षण योजना तथा एवीफौना संरक्षण योजना का प्रस्ताव आवेदक विभाग द्वारा तैयार किया जाकर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन उपरांत पृथक से मांग पत्र जारी किया जावेगा।
xvi	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars. Each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;	(1) प्रकरण में बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तित वनभूमि की लंबाई 5.205 कि.मी. में दोनों तरफ प्रति 100 मीटर में 01 मुनारा के मान से कुल मुनारा $(5.205\text{km} \times 1000 \times 2) / 100 = 104$ नग आर.सी.सी. पिल्लर @ 8600 = रुपये 894400/- व्यय होना आकलित है। तथा (2) प्रकरण में मरवाही वनमंडल अंतर्गत व्यपवर्तित वनभूमि की लंबाई 6.838 कि.मी. में दोनों तरफ प्रति 100 मीटर में 01 मुनारा के मान से कुल मुनारा $(6.838\text{km} \times 1000 \times 2) / 100 = 136$ नग आर.सी.सी. पिल्लर @ 8600 = रुपये 1169600/- व्यय होना आकलित है। 4 फीट ऊँचाई के आर.सी.सी. पिल्लर निर्माण के लिये उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट संबंधित वनमंडलाधिकारी के नाम पर तैयार कर जमा करें।

प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार पालन प्रतिवेदन मय पृथक-पृथक वचन पत्र सहित संबंधित वनमंडलाधिकारी को शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.कमांक/तक./ 7453
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 29/12/23

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल पेण्डारोड की ओर उनके पत्र क्र./3403 दिनांक 27.12.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि पुनरीक्षित मांग पत्र आवेदक संस्थान को जारी किया गया।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - मू-प्रबंध)

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

दूरभाष: 0771 - 2512840

क्र./मू-प्रबंध/विविध/115-893/ 2795

नवा रायपुर, दिनांक 19/12/2023

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of 28.811 ha. (18.245 ha in Bilaspur Forest Division and 10.566 ha. in Marwahi Forest Division) of forest land in favour of M/s Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Rehabilitation and Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under Corridor Scheme on SEP basis of Keonchi to Ratanpur Section NH-45 (Ex.) in Bilaspur and Marwahi Forest Division and District in the State of Chhattisgarh-reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Road/ 126719/2021

संदर्भ:-

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल का पत्र क्र/तक./1508 दिनांक 23.11.2023

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से बिलासपुर-मरवाही वनमंडल अंतर्गत केवची-केन्दा-रतनपुर मार्ग निर्माण 28.811 हे. के प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि की मांग आवेदक संस्थान से की गई है।

मरवाही वनमंडल अंतर्गत मांग की गई शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि 12683389/- लिया गया है, जबकि इस कार्यालय के परीक्षण उपरान्त शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि $10.566 \times 1228590 = 12981282$ होता है।

वेब चालान अमान्य किया जाता है। आवेदक संस्थान से शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने हेतु पुनः मांग पत्र जारी करें।

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, दिनांक 19/12/2023

पृ. क्र०/मू-प्रबंध/विविध/115-893/ 2796

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल, मरवाही, छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

अ.प्र.मु.व.स (मू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़



तकनीकी

वन मंडलाधिकारी
बिलासपुर वन मंडल, बिलासपुर (छ.ग.)
26/12/23

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड (छ.ग.)

Ph.No. 07751-221000

E-Mail Id- dfo-marvahi.cg@gov.in, dfomarvahi@yahoo.com

क्रमांक/तक.अधि./3403
प्रति,

पेण्डारोड, दिनांक 27/12/2023

वनमण्डलाधिकारी (नोडल)
बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of 28.811 ha. (18.245 ha in Bilaspur Forest Division and 10.566 ha. In Marwahi Forest Division) of forest land in favour of M/s Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Rehabilitation and Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under Corridor scheme on SEP basis of Ratanpur Section NH-45 (Ex.) in Bilaspur and Marwahi Forest Division and District in the State of Chhattisgarh-reg.
पंजीयन क्रमांक-FP/CG/Road/126719/2021

संदर्भ :-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. का पृ.क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-893/2795
दिनांक 19.12.2023

—00—

विषयांकित प्रकरण में मरवाही वनमण्डल अंतर्गत प्रभावित हो रहे रकबा 10.566 हे. हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 44 बिन्दुओं का प्रस्ताव जिसमें NPV गणना पत्रक भी संलग्न था, भारत सरकार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित किया गया था। भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में संलग्न NPV गणना पत्रक अनुसार आवेदक संस्थान को शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 12683389/- का मांग पत्र जारी किया गया था।

चूंकि संदर्भित पत्र जो आपको संबोधित है मैं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय द्वारा मरवाही वनमण्डल अंतर्गत 10.566 हे. हेतु शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि $10.566 \times 1228590 = 12981282$ का मांग पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्संबंध में आवेदक संस्थान को मरवाही वनमण्डल अंतर्गत 10.566 हे. हेतु शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि $10.566 \times 1228590 = 12981282$ का मांग पत्र जारी करने का कष्ट करेंगे।

वनमण्डलाधिकारी

मरवाही वनमण्डल पेण्डारोड

पेण्डारोड, दिनांक 27/12/2023

पृ.क्र./तक.अधि./3405

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

मरवाही वनमण्डल, पेण्डारोड